NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Economic Times, Delhi, 24/09/2026

Page No: 4, Size: 33.60cm × 17.73cm

NHRC Steps Up Efforts to Curb Fake Drugs

Plans centralised registration system, portal for real-time tracking and dynamic QR codes

Teena Thacker

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has recommended a centralised registration system for medicines sold in India, along with a portal to track real time their movement through supply chains and dynamic QR codes for authentication, as part of a broad set of measures to curb spurious and counterfeit drugs.

The commission proposed a National Drug Data Registration Certificate—a centralised and authenticated system under which every medicine including branded, branded generic, unbranded generic and products manufactured by third-party or for domestic use or export would be compulsorily registered through a central government portal.

It also proposed the creation of a drug trace-and-track portal containing details of medicines including manufacturer identity, composition, batch information and the distribution chain. The system would enable real-time tracking of drugs entering each state or union territory, initially focusing on life-saving and high-risk medicines, the commission said.

Another key suggestion is a centrally regulated digital authentication protocol, under which QR codes on medicine packs would be dynamic and uniquely serialised to prevent duplication and ensure standardised data governance across manufacturers.

The proposals follow an open house discussion on 'Measures to Curb Spurious Medicines in India' held earlier this year under the chairpersonship of NHRC member justice Bidyut Ranjan Sarangi. Representatives of central and state drug authorities, organisations and other stakeholders participated in the discussion.

SYSTEM OVERHAUL

The commission also proposed a uniform standard operating procedure covering forensic protocols, sampling, residue and laboratory analysis

The NHRC forwarded the recommendations for implementation to the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) in August. The regulator referred the proposals to the drug consultative committee, an expert committee under the CDSCO, to give recommendations.

ET has seen a copy of the document listing the proposals.

The commission recommended developing a centralised national database of cases related to counterfeit medicines, containing information on offenders, products, emerging patterns and enforcement outcomes. The database could be used with artificial intelligence-enabled tools to identify organised networks and repeat offenders.

It also proposed a uniform standard operating procedure covering forensic protocols, sampling, residue and laboratory analysis, supply-chain investigation, digital evidence extraction and legal strategies.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Bhaskar, Dhanbad, 24/09/2026

Page No: 6, Size: 24.84cm × 8.84cm

बेनीडीह गोलीकांड : 4 साल बाद जांच को पहुंची एनएचआरसी की टीम

पुलिस-सीआईएसएफ, परिजनों और गवाहों से की पूछताछ; 5 गवाहों ने प्रत्यक्षदर्शी होने से किया इनकार तो जांच अधिकारियों से जताई नाराजगी, घटनास्थल का किया मुआयना

भास्कर न्यूज़ | बाघमारा

चार साल पहले बेनीडीह साइडिंग में चली गोलियों की गूंज बुधवार को फिर सुनाई दी। 19 नवंबर 2022 की रात चार लोगों की मौत और दो लोगों के घायल होने की घटना की जांच करने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तीन सदस्यीय टीम बेनीडीह पहुंची थी। टीम ने घटनास्थल की पड़ताल की और उन लोगों से आमने-सामने बात की। जो उस रात ड्यूटी पर थे, जिन्होंने अपनों को खोया या जो मामले में गवाह बनाए गए उनसे पूछताछ की गई। एनएचआरसी के डीआईजी गौरव गर्ग के नेतृत्व में पहुंची टीम ने केकेसी मेन साइडिंग क्षेत्र का निरीक्षण किया। इसके बाद हरिणा कॉलोनी स्थित ब्लॉक टू के गेस्ट हाउस में बंद कमरे में पूछताछ का सिलसिला चला। सीआईएसएफ जवानों, तत्कालीन थाना प्रभारियों, बीसीसीएल अधिकारियों, मृतकों के परिजनों, घायलों और गवाहों के बयान दर्ज किए गए। टीम ने मामले से संबंधित दस्तावेज और अभिलेख भी खंगाले।

सीआईएसएफ ने कहा था... आत्मरक्षा में चलाई थी गोली

19 नवंबर 2022 की देर रात बेनीडीह साइडिंग क्षेत्र में हुई फायरिंग में चार लोगों की मौत और दो अन्य के घायल होने के बाद सीआईएसएफ की ओर से गोली चलाने को आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया गया था। वहीं मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एनएचआरसी से शिकायत की और निष्पक्ष जांच की मांग की थी। अब आयोग की टीम घटनास्थल से मिले तथ्यों, दर्ज बयानों और उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान करेगी। इसके बाद विस्तृत जांच प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। बुधवार की कार्रवाई ने करीब चार साल पुराने मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पूछताछ के दौरान ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब, बाघमारा सीओ गिरिजानंद किस्कू, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल, थाना प्रभारी अजीत कुमार, बीसीसीएल सिक्योरिटी जीएम हफीजुल कुरैशी, ब्लॉक टू क्षेत्र के जीएम कुमार रंजीव व बरोरा जीएम केके सिंह थे।

एक ही घटना, दो एफआईआर और आरोप आमने-सामने

बेनीडीह गोलीकांड के बाद मामले में दो प्राथमिकी दर्ज हुई थीं। मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी सहित अन्य मृतकों के परिजनों ने सीआईएसएफ

क्यूआरटी पर हत्या का आरोप लगाते हुए बाघमारा थाने में कांड संख्या 66/22 दर्ज कराया था। दूसरी ओर सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल अरुण कुमार ने कांड संख्या 65/22 दर्ज कर 90-100 अज्ञात लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने, जान से मारने की नीयत से हमला करने तथा सीआईएसएफ के सहायक उपनिरीक्षक दिनेश शर्मा और कांस्टेबल पिंटू कुमार को घायल करने का आरोप लगाया था। प्राथमिकी में एके-47 और पिस्तौल छीनने के प्रयास का भी उल्लेख था।

गवाहों ने कहा-हमने अपनी आंखों से नहीं देखा

जांच के दौरान बाघमारा झोपड़पट्टी निवासी चंदन हरि, दयाल हरि, पप्पू अंसारी, अब्बास अंसारी और निखत परवीन से भी पूछताछ की गई। खास बात यह रही कि पांचों ने घटना का प्रत्यक्षदर्शी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद एनएचआरसी की टीम ने अनुसंधान अधिकारियों से नाराजगी जताई। गवाहों की पहचान और उनके बयानों की स्थिति को लेकर भी जांच दल ने जानकारी ली।

मृतकों के परिजनों ने फिर की निष्पक्ष जांच की मांग

मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी, शहजादा खान उर्फ जलाउद्दीन की बहन सकीना खातून, अताउल्लाह अंसारी के पिता मुस्लिम अंसारी और शमीम अंसारी की पत्नी उम्मे कुलसुम से टीम ने अलग-अलग पूछताछ की। परिजनों ने घटना की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग दोहराई। घायल बादल रवानी और रमेश राम की मां सोमरी देवी का भी बयान दर्ज किया गया। चार साल बाद आयोग के सामने अपनी बात रखने के दौरान परिजनों ने उस रात की घटना और उसके बाद की कार्रवाई से जुड़े सवालों को फिर उठाया।

Prabhat Khabar, Dhanbad, 24/09/2026

Page No: 5, Size: 9.58cm × 10.11cm

मानवाधिकार आयोग की टीम ने किया निरीक्षण

बस्ताकोला. एना आरके आउटसोर्सिंग परियोजना में बुधवार की रात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने परियोजना स्थल का दौरा किया. टीम ने क्षेत्र में कोयला उत्पादन के दौरान उड़ने वाली धूल व उससे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों का जायजा लिया. हालांकि तेज बारिश होने के कारण मानवाधिकार आयोग की टीम स्थानीय लोगों से मुलाकात नहीं कर सकी. टीम ने महाप्रबंधक से जानकारी ली और अपनी प्रक्रिया पूरी कर लौट गयी. निरीक्षण के दौरान आयोग के स्पेशल मॉनिटर विद्या भूषण कुमार के साथ बीसीसीएल के डीटी (पीएंडपी) राजीव कुमार सिन्हा, जीएम विवेक कुजुर, राजीव चोपड़ा, एचओडी मुख्यालय, वरिष्ठ प्रबंधक पर्यावरण विभाग मिथिलेश कुमार आदि थे.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Prabhat Khabar, Dhanbad, 24/09/2026

Page No: 6, Size: 30.22cm × 12.36cm

बेनीडीह गोलीकांड की जांच तेज, एनएचआरसी टीम ने परिजनों का बयान किया दर्ज

- आयोग ने अनुसंधानकर्ताओं की कार्यशैली पर जतायी नाराजगी, लगायी फटकार
- आज होगी चिकित्सकों और अधिकारियों से पूछताछ

प्रतिनिधि, बाघमारा

एनएचआरसी की तीन सदस्यीय टीम ने बुधवार को बेनीडीह गोलीकांड की जांच तेज कर दी है. डीआइजी गौरव गर्ग के नेतृत्व में डीएसपी दुष्यंत सिंह और इंस्पेक्टर यतिप्रकाश शर्मा बाघमारा थाना पहुंचे. स्थानीय पुलिस के साथ टीम ने बेनीडीह घटनास्थल का मुआयना किया और घटना के दौरान ड्यूटी पर तैनात सीआइएसएफ जवानों व कर्मियों से पूछताछ की. इसके बाद ब्लॉक-2 क्षेत्र के हरिणा कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस में मृतकों के परिजनों, घायल बादल रवानी और घायल रमेश रविदास की मां से बंद कमरे में पूछताछ कर लिखित बयान दर्ज किया गया. आयोग के अधिकारियों ने मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी, शहजादा खान उर्फ जलाउद्दीन की पत्नी रोजिया खातून, अताउल्ला अंसारी की बहन सकीना खातून और शमीम अंसारी की पत्नी उम्मे कुलसुम के बयान दर्ज किये गये.

परिजनों ने सीआइएसएफ पर लगाया आरोप : सोनिया देवी ने कहा कि उनके पति दिहाड़ी मजदूर थे, कोयला चोर नहीं. उन्होंने सीआइएसएफ जवानों पर फर्जी एनकाउंटर में हत्या का आरोप लगाया. उनके अनुसार प्रीतम के सीने में सात गोलियां मारी गयी थीं. अन्य परिजनों ने भी सीआइएसएफ पर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष न्याय की गुहार लगायी. जांच के दौरान ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब और बाघमारा एसडीपीओ अजीत कुमार विमल मौजूद रहे. एनएचआरसी टीम ने कांड संख्या 65/2022 के आइओ रणधीर सिंह, केस संख्या 66/2022 के आइओ सूबेदार यादव, साइडिंग इंचार्ज और पीओ से पूछताछ की. चार स्वतंत्र गवाहों से भी बयान लिये गये. अनुसंधानकर्ताओं की कार्यशैली पर आयोग ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगायी. गुरुवार को डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ होगी.

19 नवंबर 2022 की रात को सीआइएसएफ की गोली से चार लोगों की हो गयी थी मौत

मृतकों के परिजन.

पीड़ित परिजनों में जगी न्याय की उम्मीद

बाघमारा. बीसीसीएल ब्लॉक-दो क्षेत्र के बहुचर्चित बेनीडीह केकेसी मेन साइडिंग गोलीकांड में चार साल बाद एक बड़ा मोड़ आया है. मानवाधिकार आयोग की दखल से जांच दोबारा शुरू हो गई है. पुलिस जहां फाइनल रिपोर्ट टू (FRT) दाखिल कर फाइल बंद करने की तैयारी में थी, वहीं आयोग के कड़े रुख के बाद पीड़ित परिवारों में न्याय की उम्मीद फिर जगी है.

घटनास्थल की जांच करती टीम.

300 पन्नों की चार्जशीट, दर्जनभर भेजे जा चुके हैं जेल : पुलिस द्वारा दाखिल 300 पन्नों की चार्जशीट में अब तक दर्जनभर नामजद अभियुक्तों को जेल भेजा गया था. जबकि 26 अन्य नामजद अभियुक्तों को अदालत से जमानत मिल चुकी है. घटनास्थल से जब्त की गई 21 बाइकों के मालिकों में से चार लोगों को भी जेल भेजा गया था.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Dainik Jagran, Dhanbad, 24/09/2026

Page No: 1, Size: 30.48cm × 51.67cm

बेनीडीह गोलीकांड : मानवाधिकार आयोग के सामने मुकर गए गवाह

संस, जागरण, बाघमारा/भीमकनाली (धनबाद) : बाघमारा थाना क्षेत्र के ब्लाक-2 स्थित बेनीडीह साइडिंग में सीआइएसएफ जवानों की गोली से चार लोगों की मौत के मामले की जांच करने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बाघमारा पहुंची। घटना 19 नवंबर 2022 को हुई थी। टीम में आयोग के डीआइजी गौरव गर्ग, डीएसपी दुष्यंत सिंह और इंस्पेक्टर यति प्रकाश शर्मा शामिल थे। आयोग ने घटना से जुड़े लोगों व गवाहों से लगभग आठ घंटे तक पूछताछ की। हालांकि टीम की पूछताछ के दौरान पुलिस के सभी गवाह अपने बयानों से मुकर गए। गवाहों ने घटना की जानकारी होने तक से इन्कार कर दिया।

इससे पहले आयोग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। सीआइएसएफ जवान व मामले के शिकायतकर्ता अरुण कुमार यादव, दिनेश शर्मा व पिंटू कुमार से पूछताछ की। टीम ने घटना के अनुसंधानकर्ता तत्कालीन कतरास थाना प्रभारी रणधीर सिंह, बाघमारा थाना प्रभारी सूबेदार यादव, ब्लाक दो के पीओ किशोर कुमार सिंह, साइडिंग इंचार्ज आरोहित कुमार से भी पूछताछ की। इसके बाद हरिणा गेस्ट हाउस में आयोग ने मृतक प्रीतम नोनिया की पत्नी सोनिया देवी व अन्य मृतकों के स्वजन से भी जानकारी ली। इस दौरान जिला पुलिस-प्रशासन व बीसीसीएल के अधिकारी भी मौजूद रहे।

गवाहों के मुकरने पर आयोग ने आइओ को लगाई फटकार: आयोग की टीम के सामने पुलिस ने घटना से जुड़े छह स्वतंत्र गवाहों को पेश किया। हैरानी यह कि सभी गवाहों ने घटना की जानकारी होने तक से इन्कार कर दिया। बाघमारा पुलिस की लिखित सूचना पर स्वतंत्र गवाह दयाल हरी, चंदन हरी, अब्बास अंसारी, पप्पू अंसारी व असगर अंसारी की पत्नी निकहत परवीन गवाही देने जांच टीम के समक्ष उपस्थित हुई थीं। गवाहों ने अपने बयान में कहा कि वे घटना के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें अखबार या अन्य माध्यमों से गोली चलने की जानकारी मिली थी। उनका नाम गवाह के रूप में कैसे दिया गया, यह भी उन्हें मालूम नहीं। असगर अंसारी की पत्नी निकहत ने कहा कि घटना के दिन उसके पति चेन्नई में थे। उनका नाम गवाही में कैसे आया, पता नहीं।

सभी गवाहों के बयान से मुकरने पर आयोग के सदस्य नाराज हो गए। उन्होंने अनुसंधानकर्ता रणधीर सिंह को बुलाकर फटकार लगाई। साथ ही कहा कि जिन लोगों का घटना से कोई वास्ता नहीं, उनको गवाह बनाकर बेवजह परेशान किया गया।

बेनीडीह साइडिंग में जांच करती मानवाधिकार आयोग की टीम ● जागरण

- **2022 में हुए बेनीडीह साइडिंग गोलीकांड में निरीक्षण करने पहुंची आयोग की टीम**
- **घटना में चार की हुई थी मौत घटना से जुड़े लोगों व गवाहों से आठ घंटे पूछताछ**

मृतक प्रीतम की पत्नी सोनिया ने की थी शिकायत ● जागरण

क्या थी घटना

19 नवंबर 2022 की रात करीब 12 बजे दर्जनों लोग बेनीडीह साइडिंग से बोरे में भरकर बाइक से कोयला ले जा रहे थे। इसी दौरान साइडिंग में सीआइएसएफ की क्यूआरटी के साथ इनकी भिड़ंत हो गई। घटना में छह लोगों को गोली लगी, जिनमें तेलोटांड़ निवासी प्रीतम नोनिया, रथटांड़ निवासी अताउल्ला अंसारी, जलालुद्दीन खान और गोमो गनघुसा निवासी समीम अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रमेश रविदास व बादल रवानी घायल हो गए थे। घटना के बाद ड्यूटी पर तैनात जवान अरुण कुमार यादव की शिकायत पर दो घायल नामजदों के अलावा 20-25 अज्ञात लोगों पर सरकारी संपत्ति की चोरी, सरकारी कार्य में बाधा डालने, हथियार छीनने का मामला दर्ज किया गया था। वहीं मृतक प्रीतम नोनिया की पत्नी सोनिया देवी की शिकायत पर भी मामला दर्ज किया गया था।

Dainik Jagran, Ranchi, 24/09/2026
Page No: 7, Size: 11.83cm × 13.63cm

एनएचआरसी ने किया ओरमांझी पंचायत का निरीक्षण

ओरमांझी पंचायत भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल लोग ● जागरण

संसू, जागरण, ● बुटूपालू : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के स्पेशल मानिटर उमाकांत ने बुधवार को ओरमांझी पंचायत का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं, ग्रामीण सेवाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा की। निरीक्षण में जिला पंचायत राज पदाधिकारी (डीपीआरओ) रांची और पंचायत राज निदेशालय के पीपी एक्सपर्ट आदित्य रंजन सहित मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण थे।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

Economic Times, Online News, 24/09/2026

Source: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/nhrc-proposes-central-drug-registry-real-time-tracking-to-curb-spurious-medicines/articleshow/134444789.cms?from=mdr

NHRC proposes central drug registry, real-time tracking to curb spurious medicines

SECTIONSNHRC proposes central drug registry, real-time tracking to curb spurious medicines
Sep 24, 2026, 12:21:00 AM IST

The National Human Rights Commission has recommended implementing a centralised registration system for medicines in India. This system aims to create a comprehensive database for tracking and authenticating drugs through dynamic QR codes. It will initially focus on high-risk and life-saving medications to enhance safety. A drug trace-and-track portal is also suggested to monitor the supply chain and manufacturer details.
New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has recommended a centralised registration system for medicines sold in India, along with a portal to track real time their movement through supply chains and dynamic QR codes for authentication, as part of a broad set of measures to curb spurious and counterfeit drugs.

The commission proposed a National Drug Data Registration Certificate-a centralised and authenticated system under which every medicine including branded, branded generic, unbranded generic and products manufactured by third-party or for domestic use or export would be compulsorily registered through a central government portal.
It also proposed the creation of a drug trace-and-track portal containing details of medicines including manufacturer identity, composition, batch information and the distribution chain. The system would enable real-time tracking of drugs entering each state or union territory, initially focusing on life-saving and high-risk medicines, the commission said.
Another key suggestion is a centrally regulated digital authentication protocol, under which QR codes on medicine packs would be dynamic and uniquely serialised to prevent duplication and ensure standardised data governance across manufacturers.
The proposals follow an open house discussion on 'Measures to Curb Spurious Medicines in India' held earlier this year under the chairpersonship of NHRC member justice Bidyut Ranjan Sarangi. Representatives of central and state drug authorities, organisations and other stakeholders participated in the discussion.
The NHRC forwarded the recommendations for implementation to the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) in August. The regulator referred the proposals to the drug consultative committee, an expert committee under the CDSCO, to give recommendations.
ET has seen a copy of the document listing the proposals.
The commission recommended developing a centralised national database of cases related to counterfeit medicines, containing information on offenders, products, emerging patterns and enforcement outcomes. The database could be used with artificial intelligence-enabled tools to identify organised networks and repeat offenders.
It also proposed a uniform standard operating procedure covering forensic protocols, sampling, residue and laboratory analysis, supply-chain investigation, digital evidence extraction and legal strategies.

Source: https://nenow.in/north-east-news/mizoram/mizoram-nhrc-rapporteur-stresses-counselling-de-addiction-support-for-youngsters.html

Mizoram: NHRC rapporteur stresses counselling, de-addiction support for youngsters
by NE NOW NEWS
September 23, 2026 9: 33 am

Aizawl: National Human Rights Commission (NHRC) Special Rapporteur Sayeed Ahmed Baba on Tuesday stressed the need for greater public awareness of human rights and adequate counselling and de-addiction facilities for people affected by substance abuse, particularly youngsters.

Addressing a meeting with heads of government departments in Saitual district, Baba said the NHRC was established to protect and promote the human rights of every individual, according to official sources.

He also emphasised the responsibility of government officials, whose work directly affects people's lives and well-being, to ensure that their rights are respected and protected.

Baba said visits by NHRC representatives to different places were intended to understand local conditions and learn about good initiatives and practices being implemented in various areas. He also appreciated the initiatives observed during his visit to Saitual.

The meeting was chaired by Saitual District Commissioner Srinivas Sadi and attended by officials from various line departments and representatives of the Sub-Hqrs YMA.

Sadi made a PowerPoint presentation on various aspects of the district and assured that the suggestions made by the NHRC Special Rapporteur would be followed up and acted upon to the extent possible.

During his two-day visit, Baba visited PM Shri School, Primary School-II, Anganwadi Centre-I, Eklavya Model Residential School at Ngopa and a ginger processing unit at Hliappui on Monday.

On Tuesday, he visited the One Stop Centre, police station and district hospital in Saitual before proceeding to Champhai, the sources said.

Source: https://thecommunemag.com/2021-suspicious-death-of-disabled-minor-at-fcra-registered-home-nhrc-summons-hyderabad-medchal-malkajgiri-collectors/

2021 Suspicious Death Of Disabled Minor At FCRA-Registered Home: NHRC Summons Hyderabad, Medchal-Malkajgiri Collectors
By The Commune - September 23, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued conditional summons to the District Collectors of Hyderabad and Medchal-Malkajgiri over their failure to submit enquiry reports in connection with the 2021 death of a 14-year-old disabled girl who was under institutional care at a home in Telangana.

The action follows a petition filed by Hyderabad-based NGO watchdog Legal Rights Protection Forum (LRPF), which approached the NHRC seeking an independent inquiry or Special Investigation Team (SIT) probe into the circumstances surrounding the girl's death and her unauthorised transfer between facilities.

The NHRC had taken up the petition in February 2026 and subsequently issued notices to the two District Collectors in February and March, directing them to submit Action Taken Reports. Despite the notices and a subsequent reminder, the required reports were not submitted.

Taking note of the continued non-compliance, the NHRC Bench presided over by its Member, Priyank Kanoongo, issued conditional summons under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The Hyderabad and Medchal-Malkajgiri District Collectors have been directed to appear before the NHRC at 11:30 AM on 22 October 2026, along with the requisite enquiry reports. Their personal appearance will be dispensed with if the reports are submitted by October 15.

What Happened In 2021?
The case dates back to June 2021, when 14-year-old Jahnavi, who was under institutional care, died in circumstances that were described as suspicious in a complaint filed by the then Chairperson of the Hyderabad District Child Welfare Committee (CWC), G. Shailaja.

According to the FIR copy obtained by LRPF, Jahnavi was initially sheltered at MV Foundation in Hyderabad. On March 17, 2021, the District CWC shifted her to Home for Disabled at Jeera, Secunderabad.

She was subsequently shifted from the Secunderabad facility to another unit of Home for Disabled at Somanbolle Village in Shamirpet, Medchal-Malkajgiri district. The complaint alleged that the transfer was carried out without following the prescribed procedure and without informing the concerned Child Welfare Committees.

After receiving information about Jahnavi's death, Shailaja and another CWC member visited the Jeera facility on June 7, 2021. According to the complaint, Jahnavi had died at the Shamirpet facility under suspicious circumstances.

The complaint further alleged that her body was subsequently taken to Bhoiguda in Secunderabad and cremated

without informing the CWC or police authorities about the death.

It also stated that the organisers failed to produce the girl's health records when the CWC members inspected the facility.

The manner of disposal of the body was also questioned in the complaint. It alleged that the body was cremated on a funeral pyre instead of being buried in accordance with customary Christian practice, raising concerns over whether crucial evidence could have been lost and whether a further post-mortem examination was prevented.

Based on the CWC Chairperson's complaint, Gandhinagar Police Station registered Zero FIR No. 01/2021 on June 7, 2021, under Section 176(1)(A) of the Cr.P.C. The case was subsequently transferred to Shamirpet Police Station under the Cyberabad Police Commissionerate for further investigation.

FCRA Registration Under Scrutiny
The case has also brought the regulatory status of Home for Disabled under scrutiny.

According to NGO Darpan records cited by LRPF, Home for the Disabled is registered as a society bearing Registration No. 197-42 of 1942. LRPF has also stated that the organisation is registered with the Ministry of Home Affairs under the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, allowing it to receive foreign contributions.

Despite the 2021 death and the circumstances recorded in the FIR, LRPF has pointed out that the organisation's FCRA registration was renewed in 2022 and remains valid until 2027.

The development has prompted questions from LRPF over whether the circumstances surrounding the girl's death were adequately examined by the relevant authorities and whether appropriate regulatory oversight was exercised.

LRPF subsequently approached the NHRC seeking an independent inquiry or SIT probe into the girl's unauthorised transfer and death, action against those responsible, and an examination of the alleged administrative and regulatory lapses.

Source: https://www.jagran.com/jharkhand/dhanbad-nhrc-probes-dhanbad-benidih-firing-witnesses-recant-team-angered-40382735.html

चार साल बाद खुली बेनीडीह मुठभेड़ की फाइल, सीआइएसएफ फायरिंग की NHRC ने की जांच; गवाहों के बयान सुन हैरान
By Basant Bharti Edited By: Mritunjay Pathak
Published: Wed, 23 Sep 2026 06:09 PM (IST)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने चार साल पुराने बेनीडीह साइडिंग गोली कांड की जांच की, जिसमें सीआईएसएफ की गोली से चार लोगों की मौत हुई थी।

संवाद सहयोगी, बाघमारा/ भीमकनाली (धनबाद)। चार साल पूर्व हुए बेनीडीह साइडिंग गोली कांड की फाइल फिर खुलने से पुलिस, सीआईएसएफ तथा बीसीसीएल महकमे में खलबली मच गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम ने बुधवार को बेनीडीह पहुंचकर मामले की जांच की।

बाघमारा थाना क्षेत्र के ब्लाक दो स्थित बेनीडीह साइडिंग में 19 नवंबर 2022 को सीआईएसएफ की गोली से चार लोगों की मौत के मामले की जांच करने बुधवार को दिल्ली से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तीन सदस्यीय टीम बाघमारा पहुंची।

टीम में आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग, डीएसपी दुष्यंत सिंह, इंस्पेक्टर यति प्रकाश शर्मा शामिल थे। करीब आठ घंटे से अधिक समय तक टीम के अधिकारियों ने मामले से जुड़े अलग-अलग लोगों से पूछताछ की।

सबसे पहले टीम बेनीडीह साइडिंग स्थित घटनास्थल पर पहुंची। गोली बारी की घटना में शामिल सीआईएसएफ जवान व शिकायतकर्ता अरुण कुमार यादव, दिनेश शर्मा व पिंटू कुमार को घटनास्थल पर बुलाकर उनसे घटना की जानकारी ली।

गोली कांड की घटना में तेलोटांड़ निवासी प्रीतम नोनियां, रथटांड़ निवासी अताउल्ला अंसारी, जलालुद्दीन खान, गोमो गनघुसा निवासी समीम अंसारी की गोली लगाने से मौत हो गई थी। जबकि रमेश रविदास व बादल रवानी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

टीम ने घटना के अनुसंधान कर्ता तत्कालीन कतरास थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर रणधीर सिंह, बाघमारा थाना प्रभारी सूबेदार यादव, ब्लाक दो के पीओ किशोर कुमार सिंह, साइडिंग इंचार्ज आरोहित कुमार सहित आधा दर्जन गवाह से पूछताछ की।

इसके बाद हरिणा गेस्ट हाऊस में आयोग को शिकायत करने वाली मृतक प्रीतम रवानी की पत्नी सोनिया देवी व घटना में मारे गये अन्य तीन लोगों के स्वजन से घटना की जानकारी ली। टीम के सदस्यों ने जांच के बारे में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया।

इस दौरान ग्रामीण एसपीएस मो. याकूब, डीएसपी अजित कुमार बिमल, बीसीसीएल के जीएम सिक्योरिटी एहतराम कुरेशी, सीओ गिरजानंद किस्कू, ब्लाक दो क्षेत्र के जीएम कुमार रंजीव, बरोरा क्षेत्र के जीएम केके सिंह, एजीएम पीएसके सिन्हा, बाघमारा थाना प्रभारी अजित कुमार आदि मौजूद थे।

गवाहों के मुकरने पर आयोग ने जताया एतराज
पुलिस द्वारा घटना को लेकर जिन गवाहो का नाम दिया गया था उन सभी ने घटना की जानकारी से इनकार कर दिया। बाघमारा पुलिस की लिखित सूचना पर करीब छह स्वतंत्र गवाह दयाल हरी, चंदन हरी, अब्बास अंसारी, पप्पू अंसारी, असगर अंसारी की पत्नी निखत प्रवीण गवाही देने जांच टीम के समक्ष उपस्थित हुए।

गवाहों के अपने बयान में कहा कि वे लोग घटना के बारे मे कुछ नही जानते है । उनको अखबार या अन्य माध्यमों से गोली चलने की जानकारी मिली थी । उनका नाम गवाह के रूप में कैसे दिया गया यह उन लोगों को मालूम नहीं ।

रथटांड निवासी असगर अंसारी का नाम गवाह में दिया गया था । वह चेन्नई में काम करता है । उनके गवाही की नोटिस लेकर उसकी पत्नी निखत प्रवीण जांच टीम के सामने हाज़िर हुई । उसने कहा की घटना के दिन उसके पति चेन्नई में थे।

फिर उनका नाम कैसे आया उसको पता नहीं । गवाहों के मुकरने पर टीम के सदस्य काफ़ी नाराज हो गये ।

उन्होंने घटना के अनुसंधान कर्ता रणधीर सिंह को बुलाकर काफी फटकार लगाई। कहा कि घटना से जिन लोगों का कोई वास्ता नही वैसे लोगो का नाम गवाह के रूप में देकर उनको वेवजह परेशान करने का काम किया गया है।

क्या थी घटना
19 नवंबर 2022 , रात करीब बारह बजे, दर्जनों की संख्या में लोग बेनीडीह साइडिंग से बोरे में भरकर बाइक से कोयला लेकर आ जा रहे थे । इसी दौरान साइडिंग में सीआईएसएफ की क्यूआरटी टीम के साथ कोयला ले जा रहे लोगो की भिड़ंत हो गई। छह लोगों को गोली लगी। चार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गये थे।

घटना के बाद सीआईएसएफ की ओर से साइडिंग में डियूटी में तैनात जवान अरुण कुमार यादव की शिकायत पर दो घायल नामजद के अलावा अन्य बीस पच्चीस अज्ञात पर सरकारी संपत्ति की चोरी, सरकारी कार्य में बाधा डालने, हथियार छीनने का मामला दर्ज किया गया था । जबकि मृतक प्रीतम नोनिया की पत्नी सोनिया देवी की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था।

Source: https://hindupost.in/crime/nhrc-issues-conditional-summons-to-district-collectors-in-case-relating-to-suspicious-death-of-a-minor-girl-under-institutional-care-in-telangana/

NHRC issues conditional summons to District Collectors in case relating to suspicious death of a Minor Girl under institutional care in Telangana
September 23, 2026 Jamadagnya

A significant development has emerged in a case concerning the death of a 14-year-old disabled girl who was under institutional care in Telangana. The National Human Rights Commission (NHRC) has taken a serious view of the continued non-submission of enquiry reports by the District Magistrates of Hyderabad and Medchal-Malkajgiri and has issued Conditional Summons under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The summons arise from a complaint filed by A.S. Santhosh, General Secretary of the Legal Rights Protection Forum (LRPF), regarding the alleged unauthorized transfer of a minor child, her subsequent death under suspicious circumstances in 2021, and allegations of regulatory and institutional failures.

The matter is being examined by the NHRC under Case No. 149/36/11/2026-dh. According to the Commission's proceedings dated 22 September 2026, the complaint concerns the death of a 14-year-old disabled girl who was placed under institutional care and later died while residing in a facility operated by an NGO known as Home for the Disabled. The Commission observed that the allegations raised in the complaint prima facie appear to involve violations of human rights and warrant detailed examination by the concerned authorities.

The background of the case dates back to 2021. According to records cited in the complaint, the minor girl, identified as Jahnavi, was initially sheltered at MV Foundation in Hyderabad. Pursuant to the directions of the Child Welfare Committee (CWC), Hyderabad, she was formally transferred on 17 March 2021 to Home for the Disabled located at Jeera, Secunderabad. The transfer was stated to have been made in accordance with the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015.

The complaint subsequently alleged that approximately three months later, officials associated with the institution shifted the child from the Secunderabad facility to another unit of the same organization located at Shamirpet in Medchal-Malkajgiri District. It was alleged that this transfer took place without obtaining mandatory approval from the Child Welfare Committee or the District Administration. According to the complainant, such a transfer violated prescribed child protection procedures and statutory safeguards applicable to children placed under institutional care.

Following the transfer, the child reportedly died under suspicious circumstances at the Shamirpet facility in June 2021. The circumstances surrounding the death subsequently became the subject of concern among child welfare authorities. According to the complaint submitted to the police by Smt. G. Shailaja, then Chairperson of the Hyderabad Child Welfare Committee, information was received that the girl had died at the Shamirpet unit. Upon inquiry, concerns reportedly emerged regarding the management of the case and the absence of official communication to the competent authorities.

A major aspect of the allegations relates to the handling of the child's remains after death. The complaint states that the body of the deceased child was transported from Shamirpet to Bhoiguda in Secunderabad and cremated

without informing either the Child Welfare Committee or the police authorities. The FIR further recorded concerns that the body's cremation took place under circumstances that prevented proper preservation of potential forensic evidence. The complaint alleged that these actions raised serious questions regarding institutional accountability and compliance with mandatory procedures applicable in cases involving the death of a child under custodial or institutional care.

Another significant allegation concerns the non-availability of medical and health records. According to the complaint filed by the then CWC Chairperson, when officials visited the institution following the child's death, they were unable to obtain the health records pertaining to the deceased child. The inability to produce these records was cited as one of the reasons for seeking police intervention and further investigation.

Based on the complaint, Zero FIR No. 01/2021 was registered on 7 June 2021 at Gandhinagar Police Station under Section 176(1)(A) Cr.P.C. The FIR was subsequently transferred to Shamirpet Police Station for further investigation. The complaint before the NHRC alleges that despite the registration of the FIR, the investigation did not result in adequate accountability and that the matter was effectively suppressed or diluted over time.

The complaint also raised concerns regarding the regulatory oversight of the institution involved. According to NGO Darpan records cited in the complaint, Home for the Disabled is a registered society. The complainant further pointed out that the organization possesses a Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) registration issued by the Ministry of Home Affairs, permitting it to receive foreign contributions. Despite the serious allegations surrounding the death of a minor girl and the registration of a police case in 2021, the organization's FCRA registration was reportedly renewed in 2022 and remains valid until 2027. The complainant argued that this raises important questions regarding the effectiveness of the regulatory review mechanisms and the extent to which the incident was examined by the relevant authorities.

Seeking intervention in the matter, the Legal Rights Protection Forum approached the NHRC in February 2026. The organization requested an independent inquiry or a Special Investigation Team (SIT) investigation into the circumstances of the child's death. The complaint also sought examination of police records, medical records, cremation records, and administrative actions taken by authorities responsible for monitoring child-care institutions.

On 16 February 2026, the NHRC, through a Bench presided over by Priyank Kanoongo, took cognizance of the complaint under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The Commission directed the District Magistrates of Hyderabad and Medchal-Malkajgiri to enquire into the allegations and submit Action Taken Reports within two weeks. The Commission observed that the allegations, if true, raised serious concerns relating to the human rights of a vulnerable child who was under institutional protection.

When no reports were received, the Commission revisited the matter on 25 March 2026. Taking note of the non-compliance, NHRC issued reminders to both District Magistrates and directed submission of the reports within a further period of two weeks. The Commission additionally warned that failure to comply could result in the invocation of its powers under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, which grants the Commission powers akin to those of a civil court during inquiries.

Despite the original notice and subsequent reminder, the required reports were still not submitted. Consequently, on 22 September 2026, the NHRC adopted a stronger course of action. The Commission directed the issuance of Conditional Summons to the District Magistrates of Hyderabad and Medchal-Malkajgiri under Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The District Magistrates have been directed to appear before the Commission in person, or through authorized representatives fully conversant with the facts of the case, at 11:30 a.m. on 22 October 2026 at the NHRC headquarters in New Delhi. The Commission clarified that the requirement of personal appearance would stand dispensed with if the requisite enquiry reports are submitted on or before 15 October 2026.

The latest action by the NHRC marks a significant stage in the proceedings. The Commission's intervention has brought renewed attention to questions concerning the transfer of a child between institutional facilities, the circumstances surrounding her death, the handling of medical and investigative records, institutional

accountability, regulatory oversight, and the obligations of public authorities to respond to human rights inquiries. The forthcoming reports from the district administrations, or their appearance before the Commission, may play a crucial role in determining the future course of the case and addressing concerns surrounding the death of a minor girl who was under institutional care.

Source: https://indiaeducationdiary.in/nhrc-india-holds-statutory-full-commission-meeting-in-new-delhi/

NHRC, India holds Statutory Full Commission Meeting in New Delhi
By iednewsdesk September 23, 2026

The National Human Rights Commission (NHRC), India, organised a Statutory Full Commission meeting with representatives of all seven deemed members of the Commission in New Delhi today. The meeting aimed to enhance synergy and cooperation among the Commissions for the promotion and protection of human rights.
DownloadInteractive Maps

Chairing the meeting, Justice Shri V. Ramasubramanian, Chairperson, NHRC, India, emphasised the importance of collaborative functioning among the Commissions. He said that the Chairpersons of all the National Commissions are ex-officio Members of the NHRC and, therefore, are part of it. He said that together, the Commissions can undertake meaningful work for promoting and protecting the human rights of various sections of society.

Justice Ramasubramanian suggested appointing a Nodal Officer to coordinate among all the National Commissions. He said that the NHRC may explore extending support to other Commissions if lacking in machinery in the investigation of cases. In his concluding remarks, he also shared the concern over the lack of rehabilitation measures for mentally ill women engaged in begging, which requires attention. He noted that there is a sizeable population of persons with disabilities (PwDs) worldwide and stressed the need to examine policies intended for their welfare and identify gaps. The NHRC, India Chairperson expressed concern over the lack of social security for PwDs and the denial of insurance coverage by insurance companies. He also appreciated the suggestion for interfaith dialogue and coordinated research, particularly in overlapping areas.
DownloadInteractive Maps

The meeting discussed issues including an integrated approach towards protecting the rights of vulnerable and marginalised sections, identification of key areas for collaborative efforts, sharing of best practices and minimising duplication of cases. The participants emphasised the need for joint fact-finding efforts, research, awareness campaigns and outreach programmes.

Smt. Vijaya K. Rahatkar, Chairperson, National Commission for Women (NCW), highlighted the work of the NCW towards promoting and protecting women’s rights and various programmes, including public hearings organised in different districts to hear their complaints. She said that, besides handling complaints, the NCW also focuses on research, awareness and outreach training programmes for the welfare of women. She added that the NCW has been organising anti-human trafficking campaigns in collaboration with Central Armed Police Forces and holding dialogues with youth on POSH, POCSO and cybercrime-related issues in collaboration with different institutions.

Smt. Kiran Umesh Mahalle, Member, National Commission for Backward Classes (NCBC), spoke about the problems faced by the beggar community, particularly those suffering from mental health issues. She expressed concern over mentally ill women being left by their families to beg on the roads. She suggested that the National Commissions may consider formulating a policy for their rehabilitation and recommending its implementation to the Government.

Shri S. Govindraj, Commissioner for Persons with Disabilities (CCPD) said that the CCPD has been focusing on reaching those who have remained unreached. He stressed the need for research into gaps in welfare measures for persons with disabilities, who he described as among the most vulnerable populations facing discrimination.

Dr. Sanjeev Sharma, Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR), highlighted the NCPCR's work on rescue and rehabilitation of children in a campaign mode. He said that over 8,000 children have been rescued and rehabilitated. He also underscored the need for capacity building and training. He said that the circulation of child sexual abuse material on social media platforms requires immediate attention. He suggested joint investigations and joint bench sittings of Statutory Commission members, besides strengthening State Commissions.

Shri Vivek Kumar Dewangan, Secretary, National Commission for Scheduled Castes (NCSC), said that the NCSC has set up an e-grievance monitoring portal, which has resulted in quicker redressal of grievances. He emphasised better coordination among the Statutory Commission members, collaboration on capacity building and awareness in educational institutions, joint studies on socio-economic indicators and joint action plans with measurable objectives.

Shri Suchindra Misra, Secretary, National Commission for Minorities (NCM), highlighted the importance of electronic grievance redressal systems and capacity building with support from the NHRC. He also stressed coordination with States to establish State Minority Commissions, noting that only 18 States have such Commissions so far. He further underscored the significance of coordinated research and complaint redressal, besides holding interfaith dialogues.

Shri Manohar N. Sukole, Deputy Secretary, National Commission for Scheduled Tribes (NCST), highlighting the importance of registering of suomotu cases besides the need for establishing grievance redressal platforms with real time tracking provisions and early warning systems identifying the recurring issues and overlapping matters requiring a more integrated approach among Statutory Commission Members.

Justice (Dr.) Bidyut Ranjan Sarangi, Member, NHRC, India said that the endeavour should be to work together to ensure that benefits reach the grassroots level. He said that while the Statutory Commission members work in different fields, their purpose is the same. He observed that SOPs can be effective if implemented properly and emphasised the need for adequate staff and infrastructure for all the Commissions to achieve their objectives.
DownloadInteractive Maps

Dr. Anupama Nilekar Chandra, DG (Inv) NHRC, India said that the Commission will be organising a training programme for investigation officers on the last Wednesday of each month beginning 30th September 2026. It will be further expanded over the course of time.

Earlier, setting the agenda for the meeting, Shri Piyush Goyal, Secretary General, NHRC, India, gave an overview of the country's unique institutional human rights protection framework. He emphasised that interactions among these institutions are useful in forming synergy and cooperation between different Commissions to protect the rights of vulnerable and disadvantaged communities including bonded labours, older persons and manual scavengers. The interactions can also help in paving the way forward for capacity building and sharing of best practices.

Shri Samir Kumar, Joint Secretary, NHRC, India, summarised the activities undertaken by the Commission over the last year.

The meeting concluded with a renewed commitment to collaborative efforts among the Commissions for the promotion and protection of human rights in India.

Source: https://maktoobmedia.com/post?id=116519&slug=women-are-being-hunted-kuki-zo-forum-urges-nhrc-to-act-over-killings-in-manipur

“Women are being hunted”: Kuki-Zo forum urges NHRC to act over killings in Manipur
Published: 11 hours ago

The Kuki-Zo Women’s Forum Delhi and NCR (KZWFD) has written to National Human Rights Commission (NHRC) chairperson Justice V. Ramasubramanian, seeking immediate intervention over continuing killings and human rights violations against Kuki-Zo women and unarmed civilians in Manipur.

In a memorandum to the NHRC chairperson, KZWFD convenor Chong Haokip, co-convenor Lamneilhing Haokip and media in-charge Kim Haokip sought an impartial central investigation into the killings and comprehensive measures to protect human rights.

It asked the NHRC to forward representations to the Union Ministry of Home Affairs seeking consideration of President’s Rule under Article 356 and a Union Territory with a legislature under Article 239A as possible constitutional and administrative measures to restore peace.

“We, the Kuki-Zo Women’s Forum, Delhi & NCR (KZWFD), submit this complaint with the gravest urgency to draw the Commission’s immediate intervention under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, regarding the complete collapse of state governance and gross human rights violations in Manipur,” the memorandum said.

The forum alleged that the ethnic conflict that began on 3 May 2023 had entered “a lethal new phase”, with Kuki-Zo villages in border regions and Naga-majority districts being targeted by Manipuri Naga factional armed groups, including NSCN-IM and its proxy ZUF-K.

This comes after two Kuki-Zo women were killed on September 15 in a suspected militant attack in Manipur’s Tamenglong district.

The victims have been identified as 70-year-old Chonga Sitlhou and 28-year-old Kimneo Singson.

“Unarmed civilians, mothers, nurses, and pregnant women are being hunted in their homes, fields, and village paths,” the memorandum said.

According to community records cited by the forum, 27 Kuki-Zo civilians have been killed so far, including eight women. The forum said two of the women were pregnant and that the killings resulted in the deaths of two unborn infants. It also said young children had been wounded and orphaned.

The eight women identified by the forum are Tinmary Haokip (7 months pregnant), Tingneichin Lhouvum, Hoineineng Lhoujem, Lhingzangai Singsit, Julie Singson (2 months pregnant), Phalneichong Sitlhou (76), and Kimjalhing Singson (28, nurse). The forum alleged that they were executed in their homes and agricultural fields by Naga Factional Armed Groups (NSCN-IM & ZUF-K) between June and September 2026.

The forum also said the attacks resulted in the deaths of two unborn infants carried by Haokip and Singson. It said young Henminsang was wounded in a gunshot incident and that multiple surviving children had been orphaned.

Seeking accountability from the authorities, the forum asked the NHRC to direct the Ministry of Home Affairs, the Manipur government and the state Director General of Police to submit action-taken reports within seven days on FIRs, arrests and security measures taken regarding the alleged killings.

The forum claimed that geographical isolation, blockades and inadequate medical infrastructure have deprived vulnerable Kuki-Zo settlements in areas including Tamenglong, Noney, Kangpokpi and Churachandpur of timely emergency medical care.

“Injured civilians, pregnant women and other patients have faced difficulties reaching major medical facilities in Imphal and have had to travel to hospitals in neighbouring states, including Assam,” the forum said.

The forum urged the NHRC to direct authorities to provide compensation, medical rehabilitation and long-term protection to children who, it alleged, have been orphaned or otherwise affected by the violence. The forum also sought a review of the status and alleged ground-rule violations of Naga insurgent groups covered by ceasefire or cessation-of-operations arrangements.

Source: https://samridhjharkhand.com/2026/09/23/dhanbad-benidih-cisf-firing-investigation-human-rights-commission/

Dhanbad News: मानवाधिकार आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग ने अधिकारियों और परिजनों से की पूछताछ
Author Samridh Media Desk
UPDATED: WED, 23 SEP 2026 04:14 PM (IST)

धनबाद: बाघमारा थाना क्षेत्र के बेनीडीह रेल साइडिंग में वर्ष 2022 में हुई फायरिंग का मामला एक बार फिर चर्चा में है। घटना की जांच के सिलसिले में दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम धनबाद पहुंची है। टीम के साथ दिल्ली मानवाधिकार आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग भी मौजूद हैं। टीम बीसीसीएल एरिया वन के हरिणा गेस्ट हाउस में घटना से जुड़े अधिकारियों और मृतकों के परिजनों से पूछताछ कर रही है।

19 और 20 नवंबर 2022 की दरम्यानी रात बेनीडीह रेल साइडिंग में सीआईएसएफ और कथित ग्रामीण कोयला चोरों के बीच कथित मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हुई थी। इस दौरान चार ग्रामीणों—प्रीतम चौहान, शहजादा खान उर्फ जलाउद्दीन, अताउल्ला अंसारी और शमीम अंसारी—की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं बादल रवानी और रमेश रविदास के घायल होने की भी बात सामने आई थी।

घटना के बाद फायरिंग की परिस्थितियों को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए थे। सीआईएसएफ की ओर से कहा गया था कि जवानों पर हमले की स्थिति में आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी। वहीं मृतकों के परिजनों ने फायरिंग की परिस्थितियों और कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।

मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले की जांच का अनुरोध किया था। उनकी शिकायत में घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की गई थी।

इसी मामले में अब दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम धनबाद पहुंची है। टीम ने घटना से जुड़े तत्कालीन पुलिस अधिकारियों और मृतकों के परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया है।

धनबाद पहुंचे दिल्ली मानवाधिकार आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग के नेतृत्व में टीम के साथ ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, बाघमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल और बाघमारा थाना प्रभारी अजित कुमार भी मौजूद रहे।

टीम ने मामले के तत्कालीन केस आईओ और कतरास के तत्कालीन थाना प्रभारी रणधीर सिंह, बाघमारा के तत्कालीन थाना प्रभारी सूबेदार यादव, एसआई शरत कुमार समेत घटना से जुड़े अन्य लोगों और मृतकों के परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया है।

बीसीसीएल एरिया वन के हरिणा गेस्ट हाउस में टीम सभी संबंधित लोगों से घटना की जानकारी ले रही है। पूछताछ के दौरान 2022 की फायरिंग की परिस्थितियों, पुलिस कार्रवाई और घटना से जुड़े तथ्यों को समझने का प्रयास किया जा रहा है।

Source: https://lagatar.in/dhanbad-news-human-rights-commission-team-arrives-in-dhanbad-to-investigate-the-benidih-shooting-incident

Dhanbad News : बेनीडीह गोलीकांड की जांच को धनबाद पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम
By Lagatar News
Last Updated: Sep 23, 2026 05:38 PM (IST)

Dhanbad News: मानवाधिकार आयोग की टीम की अगुवाई आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग कर रहे हैं. टीम बीसीसीएल एरिया वन के हरिणा स्थित गेस्ट हाउस में घटना के समय तैनात रहे पुलिस अफसरों और पीड़ित परिवारों से गहन पूछताछ कर रही है.

Dhanbad News : धनबाद जिले के बाघमारा थाना क्षेत्र के बेनीडीह रेलवे साइडिंग में वर्ष 2022 में हुए चर्चित गोलीकांड की फाइलें एक बार फिर खुल गई हैं. इस गोली कांड में चार ग्रामीणों की मौत हुई थी. मामले की जांच के लिए दिल्ली से मानवाधिकार आयोग की उच्चस्तरीय टीम बुधवार को धनबाद पहुंची.

टीम की अगुवाई आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग कर रहे हैं. टीम बीसीसीएल एरिया वन के हरिणा स्थित गेस्ट हाउस में घटना के समय तैनात रहे पुलिस अफसरों और पीड़ित परिवारों से गहन पूछताछ कर रही है.

दिल्ली से आई आयोग की टीम के साथ धनबाद के ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब, बाघमारा एसडीपीओ अजीत कुमार विमल और थाना प्रभारी अजीत कुमार भी हैं. टीम ने घटना के समय जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस अधिकारियों व कर्मियों को समन भेजकर हरिणा गेस्ट हाउस बुलाया. इनमें केस के आईओ सह कतरास के तत्कालीन थाना प्रभारी रणधीर सिंह, बाघमारा के तत्कालीन थाना प्रभारी सूबेदार यादव व SI शरत कुमार शामिल हैं.

यह है पूरा मामला
19 व 20 नवंबर 2022 की दरम्यानी रात बेनीडीह रेलवे साइडिंग में CISF जवानों व कोयला चोरी (कथित) के लिए पहुंचे ग्रामीणों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस दौरान हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में चार ग्रामीण प्रीतम चौहान, शहजादा खान उर्फ जलाउद्दीन, अताउल्ला अंसारी व शमीम अंसारी की मौके पर ही मौत हो गई थी. वहीं बादल रवानी व रमेश रविदास गंभीर रूप से घायल हुए थे.

घटना के बाद से ही दोनों पक्षों के दावों में भारी विरोधाभास रहा है.सीआईएसएफ के अनुसार, जवानों पर जानलेवा हमला किया गया था. इसके जवाब में उन्हें आत्मरक्षा में मजबूरन गोली चलानी पड़ी थी. वहीं, पीड़िच परिजनों ने सीआईएसएफ के दावों को खारिज करते हुए इसे एकतरफा कार्रवाई बताया था. मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

Source: https://zeenews.india.com/hindi/india/jharkhand/dhanbad-benidih-firing-case-file-reopened-delhi-human-rights-commission-team-arrives-for-investigation/3304323

झारखंड न्यूज़

धनबाद: फिर खोली गई बेनिडीह फायरिंग मामले की फाइल, जांच के लिए पहुंची दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम

बेनिडीह फायरिंग मामले की फाइल फिर से खोली गई है. दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम धनबाद पहुंची है. 2022 में CISF की फायरिंग में चार ग्रामीणों की मौत हो गई थी. यह टीम मृतकों के परिवारों के साथ-साथ उस समय इंचार्ज रहे पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ करेगी.

Reported By Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Edited By Ranjana Dubey
Published: Sep 23, 2026, 03:38 PM IST
|Updated: Sep 23, 2026, 03:38 PM IST

धनबाद के बाघमारा थाना क्षेत्र के बेनीडीह रेल साइडिंग में साल 2022 में हुई फायरिंग का मामला एक बार फिर से चर्चाओं में है. जांच के सिलसिले में दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम धनबाद पहुंची है. टीम के साथ दिल्ली मानवाधिकार आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग भी मौजूद हैं. टीम BCCL एरिया वन के हरिणा गेस्ट हाउस में घटना से जुड़े अधिकारियों और मृतकों के परिजनों से पूछताछ कर रही है.

19 और 20 नवंबर 2022 की दरम्यानी रात बेनीडीह रेल साइडिंग में सीआईएसएफ और कथित ग्रामीण कोयला चोरों के बीच कथित मुठभेड़ के दौरान फायरिंग हुई थी. इस दौरान चार ग्रामीण- प्रीतम चौहान, शहजादा खान उर्फ जलाउद्दीन, अताउल्ला अंसारी और शमीम अंसारी की गोली लगने से मौत हो गई थी.

दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे
वहीं, बादल रवानी और रमेश रविदास के घायल होने की भी बात सामने आई थी. घटना के बाद फायरिंग की परिस्थितियों को लेकर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दावे सामने आए थे. CISF की ओर से कहा गया था कि जवानों पर हमले की स्थिति में आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी. वहीं, मृतकों के परिजनों ने फायरिंग की परिस्थितियों और कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जांच की मांग
मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मामले की जांच का अनुरोध किया था. उनकी शिकायत में घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की गई थी. इसी मामले में अब दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम धनबाद पहुंची है. टीम ने घटना से जुड़े तत्कालीन पुलिस अधिकारियों और मृतकों के परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया है.

धनबाद पहुंचे दिल्ली मानवाधिकार आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग के नेतृत्व में टीम के साथ ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, बाघमारा एसडीपीओ अजित कुमार विमल और बाघमारा थाना प्रभारी अजित कुमार भी मौजूद रहे.

घटना से जुड़े तथ्यों को समझने की कोशिश जारी
टीम ने मामले के तत्कालीन केस आईओ और कतरास के तत्कालीन थाना प्रभारी रणधीर सिंह, बाघमारा के तत्कालीन थाना प्रभारी सूबेदार यादव, एसआई शरत कुमार समेत घटना से जुड़े अन्य लोगों और मृतकों के परिजनों को पूछताछ के लिए बुलाया है. बीसीसीएल एरिया वन के हरिणा गेस्ट हाउस में टीम सभी संबंधित लोगों से घटना की जानकारी ले रही है. पूछताछ के दौरान 2022 की फायरिंग की परिस्थितियों, पुलिस कार्रवाई और घटना से जुड़े तथ्यों को समझने का प्रयास किया जा रहा है.

सवाल अब भी जांच के दायरे में

बेनीडीह फायरिंग कांड को करीब चार साल बीत चुके हैं, लेकिन घटना को लेकर उठे सवाल अब भी जांच के दायरे में हैं. दिल्ली मानवाधिकार आयोग की टीम की पूछताछ से 2022 की उस रात हुई फायरिंग से जुड़े कई तथ्यों पर स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट: नितेश कुमार मिश्रा

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-nhrc-investigates-shooting-incident-in-beni-dih-bccl-block-two-201790194524152.amp.html

चार साल बाद खुली बेनीडीह गोलीकांड की फाइल
Sep 24, 2026 01:45 am IST
By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद

बीसीसीएल ब्लॉक-दो क्षेत्र के बेनीडीह साइडिंग में 19 नवंबर 2022 को हुई गोलीकांड की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम बाघमारा पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिवारों और स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ की। चार लोगों की मौत और दो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिसके आरोप सीआईएसएफ पर लगाए गए।

बीसीसीएल ब्लॉक-दो क्षेत्र के बेनीडीह साइडिंग में 19 नवंबर 2022 की रात हुए गोलीकांड की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की तीन सदस्यीय टीम बुधवार को बाघमारा पहुंची। टीम ने पहले घटनास्थल का निरीक्षण कर सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस से तथ्यों की जानकारी ली। इसके बाद ब्लॉक-दो एक्सपर्ट गेस्ट हाउस में पीड़ित परिवारों, स्वतंत्र गवाहों और तत्कालीन पुलिस-प्रशासन से जुड़े लोगों से पूछताछ की। पीड़ित परिवारों की शिकायत पर आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। डीआईजी गौरव गर्ग के नेतृत्व वाली टीम में डीएसपी दुष्यंत सिंह और इंस्पेक्टर यतिप्रकाश शर्मा शामिल थे। बेनीडीह साइडिंग में तथाकथित कोयला चोरों और सीआईएसएफ के बीच विवाद के बाद हुई गोलीबारी में चार लोगों की मौत और दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे॰

घटना की जानकारी
आयोग के समक्ष नोटिस पर बुलाए गए चार स्वतंत्र गवाहों ने घटना की जानकारी होने से इनकार किया। इस पर टीम ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए आपत्ति दर्ज की। मृतक जलालुद्दीन खान, प्रीतम नोनिया, अता उल्लाह अंसारी उर्फ अतुल अंसारी व शमीम अंसारी के परिजनों ने भी अपनी बात रखी। मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी ने पति को दिहाड़ी मजदूर बताते हुए आरोप लगाया कि उन्हें सीआईएसएफ जवानों ने रात में फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। रोजिया खातून, उम्मे कुलसुम और सकीना खातून ने भी न्याय की मांग रखी। दोपहर 12 बजे से शाम 5:30 बजे तक टीम ने मामले से जुड़े लोगों से जानकारी ली। मौके पर धनबाद ग्रामीण एसपी एस. मोहम्मद याकूब, बाघमारा डीएसपी अजीत कुमार विमल, सीओ गिरिजानंद किस्कू, अनुसंधानकर्ता समेत अन्य पुलिस व कोयला अधिकारी मौजूद थे।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-nhrc-investigates-bccl-block-ii-shooting-incident-201790159536059.amp.html

गोलीकांड की जांच के लिए पहुंची एनएचआरसी की टीम, सीआईएसएफ और पीड़ितों से ली जानकारी
Sep 23, 2026 04:02 pm IST
By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, धनबाद

बाघमारा, प्रतिनिधि। बीसीसीएल ब्लॉक दो क्षेत्र स्थित रेलवे मेन लिंक साइडिंग में करीब दो वर्ष

बीसीसीएल ब्लॉक दो क्षेत्र स्थित रेलवे मेन लिंक साइडिंग में करीब दो वर्ष पूर्व हुए चर्चित गोलीकांड की जांच के लिए बुधवार सुबह दस बजे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम मौके पर पहुंची। आयोग के डीआईजी गौरव गर्ग के नेतृत्व में पहुंची टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और वारदात के वक्त तैनात सीआईएसएफ अधिकारियों व जवानों से सिलसिलेवार जानकारी ली।

घटनास्थल का मुआयना
स्पॉट इंक्वायरी पूरी करने के बाद जांच दल बीसीसीएल के एक्सपेट गेस्ट हाउस पहुंचा। वहां टीम ने पीड़ित पक्ष, स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अलग-अलग बातचीत कर बयान दर्ज किए। मामले से जुड़े कांड संख्या 65/2022 के तहत सभी संबंधित पक्षों को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया गया था।

गोलीकांड का विवरण
गौरतलब है कि 19 नवंबर 2022 की देर रात मेन लिंक साइडिंग में कथित तौर पर कोयला चोरी की नीयत से पहुंचे बाइक सवार युवकों और सीआईएसएफ की त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) के बीच हिंसक टकराव हुआ था। इस दौरान हुई गोलीबारी में चार युवकों—जलालुद्दीन खान, प्रीतम नोनिया, अता उल्लाह अंसारी उर्फ अतुल अंसारी और शमीम अंसारी की मौत हो गई थी। वहीं गोली लगने से गंभीर रूप से घायल रमेश रविदास और बादल रवानी का विभिन्न अस्पतालों में महीनों इलाज चला था। इसी मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम विस्तृत जांच कर रही है।

Source: https://lalluram.com/benidih-encounter-nhrc-steps-in-regarding-the-deaths-of-four-youths-investigation-team-arrives-in-dhanbad-questioning-to-range-from-family-members-to-cisf-personnel/

टीम, परिजनों से लेकर CISF जवानों तक से होगी पूछताछ
Vinita 23 Sep 2026, 10:03 AM झारखंड

धनबाद। बीसीसीएल की बेनीडीह परियोजना में सितंबर 2022 में सीआईएसएफ के साथ हुई मुठभेड़ में चार युवकों की मौत के चर्चित मामले की जांच अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) करेगा। करीब चार साल पुराने इस मामले की विस्तृत जांच के लिए आयोग की टीम 22 सितंबर को धनबाद पहुंच रही है। टीम घटना से जुड़े मृतकों के परिजनों, घायलों, प्रत्यक्षदर्शियों और तत्कालीन प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से पूछताछ करेगी।

इस मामले में बाघमारा थाना में 20 नवंबर 2022 को केस दर्ज किया गया था। अब NHRC की जांच में घटना से पहले की परिस्थितियों से लेकर मुठभेड़ और उसके बाद हुई कार्रवाई तक की पूरी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

DIG रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में जांच
जांच टीम में डीआईजी रैंक के आईपीएस अधिकारी गौरव गर्ग और डिप्टी एसपी दुष्यंत सिंह शामिल हैं। टीम घटना से जुड़े लोगों के बयान दर्ज करने के साथ उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों की भी पड़ताल करेगी।

जांच के दौरान यदि किसी स्तर पर गंभीर लापरवाही, नियमों की अनदेखी या प्रक्रिया में गड़बड़ी के प्रमाण सामने आते हैं, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है। हालांकि, किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी या दोष जांच के निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगा।

दो अलग-अलग सूचियां तैयार
NHRC की पूछताछ के लिए दो अलग-अलग सूचियां तैयार की गई हैं। पहली सूची में घटना से प्रभावित नागरिकों और दूसरे पक्ष में तत्कालीन प्रशासनिक-पुलिस अधिकारियों तथा मुठभेड़ में शामिल CISF जवानों को रखा गया है।

पहली सूची में मृतकों के परिजन, घायलों के परिजन, प्रत्यक्षदर्शी, घटना से जुड़े वाहन चालक और मामले के शिकायतकर्ता शामिल हैं।

चारों मृतकों के परिजनों से होगी पूछताछ
जांच टीम मुठभेड़ में मारे गए चार युवकों के परिजनों से भी पूछताछ करेगी। उनसे घटना से पहले और बाद की परिस्थितियों के अलावा मृतकों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी ली जाएगी।

मृतकों के नाम:

जलालुद्दीन खान उर्फ शहजाद खान (32), पिता- असलम खान, निवासी- राथटांड़, कतरास।
मोहम्मद शमीम अंसारी (25), पिता- हबीब अंसारी, निवासी- गुंधुसा, हरिहरपुर।
मोहम्मद अताउल्ला अंसारी उर्फ अतुल अंसारी (25), पिता- मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, निवासी- राथटोड़, बाघमारा।
प्रतीम नोनिया (29), पिता- स्वर्गीय गणेश नोनिया, निवासी- तेलोटांड़, बाघमारा।
घायल और प्रत्यक्षदर्शी भी जांच के दायरे में
घटना में घायल हुए लोगों के परिजनों से भी टीम जानकारी लेगी। इसके अलावा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज कर उस रात हुए घटनाक्रम को समझने की कोशिश की जाएगी।

घटना से संबंधित वाहन जेएच-10-सीएल-0848 के चालक शंकर रवानी को भी पूछताछ के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मामले के शिकायतकर्ता अनूप कुमार से भी जांच टीम जानकारी लेगी। जांच के दौरान यदि कोई अन्य व्यक्ति घटना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वाला पाया जाता है, तो उससे भी पूछताछ

की जा सकती है।

तत्कालीन अफसरों से भी होगी पूछताछ
जांच की दूसरी सूची में घटना के समय धनबाद में पदस्थ रहे कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनमें तत्कालीन जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक और संबंधित थानों के प्रभारी शामिल हैं।

इसके अलावा तत्कालीन बाघमारा थाना प्रभारी, कतरास थाना प्रभारी, हर्षनपुर थाना प्रभारी और मामले के अनुसंधानकर्ता से भी घटना और उसके बाद की कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली जाएगी।

तीन CISF जवान भी सूची में
मुठभेड़ में शामिल CISF जवानों से भी NHRC की टीम पूछताछ करेगी। सूची में तीन जवानों के नाम और पहचान दर्ज हैं। इनमें CISF कांस्टेबल अरुण कुमार यादव, CISF उप निरीक्षक दिनेश शर्मा और पिंटू कुमार शामिल हैं।

चार साल बाद फिर चर्चा में बेनीडीह मुठभेड़ मामला
सितंबर 2022 की इस घटना को लेकर दर्ज मामले की जांच अब NHRC के स्तर पर आगे बढ़ने से एक बार फिर यह मामला चर्चा में है। आयोग की टीम अलग-अलग पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटना तथा उसके बाद की कार्रवाई की पड़ताल करेगी। जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

Source: https://www.livehindustan.com/national/story-nhrc-inspects-jharia-and-putki-areas-for-environmental-impact-and-water-quality-201790194596008.html

प्रदूषण की शिकायत पर एना पहुंची एनएचआरसी की टीम
Sep 24, 2026 01:46 am IST
By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान , धनबाद

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम ने झरिया और पुटकी क्षेत्र का दौरा किया। टीम ने एना आउटसोर्सिंग परियोजना का निरीक्षण कर कोयला उत्पादन के दौरान धूल और पर्यावरण पर प्रभाव की जांच की। इसके बाद, कोल नीर जल बॉटलिंग प्लांट की कार्यप्रणाली की समीक्षा की।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की टीम ने बुधवार को झरिया और पुटकी क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आयोग के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं मानवाधिकार मामलों के विशेष मॉनिटर विद्या भूषण कुमार (पूर्व भारतीय वन सेवा) एवं बीसीसीएल के निदेशक (परियोजना एवं योजना) राजीव कुमार सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद रहे। आयोग की टीम ने कुसुंडा क्षेत्र स्थित एना आउटसोर्सिंग परियोजना का औचक दौरा कर कोयला उत्पादन के दौरान उड़ने वाली धूल और उससे पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों की जांच की। हालांकि, तेज बारिश के कारण स्थानीय ग्रामीणों से टीम की प्रत्यक्ष बातचीत नहीं हो सकी। इसके बाद टीम ने बीसीसीएल महाप्रबंधक से सघन पूछताछ की। उल्लेखनीय है कि शिमलाबहाल के ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन की अनदेखी और डस्ट प्रदूषण से फैल रही बीमारियों को लेकर आयोग से लिखित शिकायत की थी.

कोल नीर जल बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण
इसके उपरांत अधिकारियों ने पीबी क्षेत्र स्थित कोल नीर वाटर बॉटलिंग प्लांट का निरीक्षण किया। वहां टीम ने प्लांट की कार्यप्रणाली, उत्पादन प्रक्रिया, जल की गुणवत्ता, पैकेजिंग तथा आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों ने 'कोल नीर' पहल के तहत गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर विशेष जोर दिया.

टीम के सदस्य
निरीक्षण के दौरान झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के क्षेत्रीय अधिकारी विवेक कुजूर, महाप्रबंधक विभागाध्यक्ष जेएमपी राजीव चोपड़ा, महाप्रबंधक मिथिलेश कुमार, वरिष्ठ पर्यावरण प्रबंधक सऊद अनवर व हरीश पाल, पर्यावरण प्रबंधक मारिया अहसन, महाप्रबंधक निखिल त्रिवेदी, एजेंट संजय कुमार, रंजीत सिंह, रवि अग्रवाल, शिवम कुमार, अभिषेक कुमार सिंह और प्रवीण गुप्ता उपस्थित थे.

Prabhat Khabar, Online News, 24/09/2026

Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/dhanbad/benidih-firing-nhrc-team-investigates-cisf-encounter

बेनीडीह गोलीकांड: NHRC की जांच में क्या आए नए मोड़? परिजनों के बयानों से गरमाया मामला
Author शंकर प्रसाद Edited by जितेंद्र कुमार सिंह
Updated: Wed, 23 Sep 2026 02:29 PM (IST)

बेनीडीह गोलीकांड की जांच NHRC टीम ने तेज कर दी है. परिजनों ने CISF पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है. आयोग ने घटनास्थल का जायजा लिया और विस्तृत पूछताछ शुरू की.
धनबाद. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की चार सदस्यीय टीम ने बेनीडीह गोलीकांड की जांच तेज कर दी है. डीआईजी गौरव गर्ग के नेतृत्व में पहुंची टीम ने बुधवार को बाघमारा थाना क्षेत्र का दौरा कर घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले से जुड़े विभिन्न पक्षों से जानकारी जुटायी. टीम में डीएसपी दुष्यंत सिंह और इंस्पेक्टर यति प्रकाश शर्मा समेत अन्य अधिकारी शामिल हैं.

जांच के दौरान एनएचआरसी टीम ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बेनीडीह स्थित घटनास्थल का मुआयना किया. इसके बाद घटना के समय ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ जवानों और अन्य संबंधित कर्मियों से विस्तृत पूछताछ की गयी. टीम ने घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी एकत्र की.

मृतकों के परिजनों के दर्ज किये गये बयान
निरीक्षण के बाद एनएचआरसी टीम ने ब्लॉक-2 क्षेत्र की हरिना कॉलोनी स्थित गेस्ट हाउस में मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज किये. बयान दर्ज कराने वालों में मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी, शहजादा खान उर्फ जलाउद्दीन, अताउल्ला अंसारी तथा मृतक शमीम अंसारी की पत्नी उम्मे कुलसुम शामिल थीं.

परिजनों ने आयोग के समक्ष अपनी बात रखते हुए घटना की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की. मृतक प्रीतम चौहान की पत्नी सोनिया देवी ने अपने पति को दिहाड़ी मजदूर बताते हुए न्याय की गुहार लगायी. उन्होंने सीआईएसएफ की कार्रवाई और पूर्व में हुई जांच प्रक्रियाओं को लेकर भी सवाल उठाये. यह आरोप परिजनों की ओर से लगाये गये हैं, जिनकी जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा की जा रही है.

अधिकारियों और गवाहों से भी पूछताछ
जांच के दौरान ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब और बाघमारा एसडीपीओ अजीत कुमार विमल भी मौजूद रहे. एनएचआरसी टीम ने मामले के अनुसंधान पदाधिकारियों, घटना के समय ड्यूटी पर मौजूद संबंधित अधिकारियों और कर्मियों से भी पूछताछ की.

इसके अलावा चार स्वतंत्र गवाहों से भी जानकारी ली गयी. पूछताछ के दौरान गवाहों ने घटना के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी नहीं होने की बात कही. टीम ने जांच से जुड़े दस्तावेजों और अब तक की कार्रवाई की भी समीक्षा की.

रिपोर्ट के आधार पर आगे होगी कार्रवाई
एनएचआरसी टीम द्वारा जुटाये गये तथ्यों, बयानों और दस्तावेजों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जायेगी. आयोग की ओर से मामले की जांच जारी है और रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी.